**भारत सरकार**

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 756**

**दिनांक 16 अगस्त, 2012 को उत्तर के लिए**

**निर्धन, विधवा, तलाकशुदा, बेसहारा और अकेली महिलाओं के पुनर्वास हेतु योजना**

+756. श्री **भगत सिंह कोश्यारी** :

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : देश में निर्धन, विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा और अकेली महिलाओं के पुनर्वास के लिए क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन्हें किस प्रकार की सहायता दी जाती है ;

(ख) : गत तीन वर्षों के दौरान कार्यक्रम/योजना-वार राज्य सरकारों को कितनी धनराशि स्वीकृत की गई, जारी की गई और उनके द्वारा उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) : उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है ; और

(घ) : इन योजनाओं के क्रियान्वयन से अभी तक प्राप्त सफलता के संबंध में सरकार का क्या आकलन है ?

**उत्तर**

**श्रीमती कृष्णा तीरथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

(क) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्‍थितियों में जीवन-यापन कर रही महिलाओं, जिनके पास सामाजिक/पारिवारिक समर्थन अथवा आय का कोई अपना साधन नहीं है, को आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए स्‍वाधार एवं अल्‍पावास गृह नामक आश्रय आधारित दो स्‍कीमों का क्रियान्‍वयन कर रहा है । इन स्‍कीमों के अंतर्गत लाभार्थियों को मुफ्त आश्रय, भोजन, चिकित्‍सा देखभाल, परामर्श आदि प्रदान किया जाता है । लाभार्थियों को पुनर्वास प्रदान करने के उद्देश्‍य से उन्‍हें व्‍यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।

(ख) और (ग) : इन स्‍कीमों के अंतर्गत कार्यान्‍वयनकर्ता अभिकरणों को सीधे राशि निर्मुक्‍त की जाती है । इन अभिकरणों में राज्‍य सरकार के अभिकरण एवं गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं । गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्‍न राज्‍यों में कार्यान्‍वयनकर्ता अभिकरणों को इन स्‍कीमों के अंतर्गत निर्मुक्‍त राशि एवं गृहों की संस्‍वीकृत क्षमता के आधार पर गणना के अनुसार महिला लाभार्थियों की वर्ष-वार संख्‍या **अनुलग्‍नक** में दी गई है ।

(घ) : स्‍कीम के अंतर्गत कठिन परिस्‍थितियों में रहने वाली महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के प्रयास कित जाते हैं । इसके द्वारा उन्‍हें व्‍यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके आत्‍मनिर्भर बनाया जाता है । इस स्‍कीम से वर्ष 2009-10 में 35959 महिलाओं को लाभ हो सकता है और वर्ष 2010-11 के दौरान 38241 तथा 2011-12 के दौरान 40270 महिलाएं लाभान्‍वित हो सकती हैं । लक्षित समूह पर सकारात्‍मक प्रभाव को देखते हुए मंत्रालय ने दोनों स्‍कीमों का विलय करके “स्‍वाधार गृह” स्‍कीम बनाने का निर्णय लिया है । इसके लिए बेहतर वित्‍तीय मानदंड दिए जाएंगे और 12वीं पंचवर्षीय योजनाके दौरान इसका विस्‍तार देश के सभी जिलों तक किया जाएगा ।

\*\*\*\*\*

**अनुलग्‍नक**

**‘निर्धन, विधवा, तलाकशुदा, बेसहारा और अकेली महिलाओं के पुनर्वास हेतु योजना’ विषय पर श्री भगत सिंह कोश्‍यारी द्वारा दिनांक 16.8.2012 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 756 के उत्‍तर के भाग (ख) और (ग) में संदर्भित विवरण**

**गत तीन वर्षों के दौरान स्‍वाधार एवं अल्‍पावास गृह स्‍कीम के अंतर्गत निर्मुक्‍त राशि एवं लाभार्थी महिलाओं**

**का राज्‍य-वार ब्‍यौरा**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्‍य का नाम**  | **2009-10** | **2010-11** | **2011-12** |
| **निर्मुक्‍त राशि (रुपये लाखों में)** | **लाभार्थी महिलाओं की संख्‍या** | **निर्मुक्‍त राशि (रुपये लाखों में)** | **लाभार्थी महिलाओं की संख्‍या** | **निर्मुक्‍त राशि (रुपये लाखों में)** | **लाभार्थी महिलाओं** **की संख्‍या** |
|  | आंध्र प्रदेश | 397.02 | 5118 | 581.33 | 4588 | 557.87 | 4214 |
|  | अरुणाचल प्रदेश | 9.66 | 72 | 3.78 | 65 | 14.48 | 72 |
|  | असम  | 118.62 | 1542 | 286.40 | 1581 | 231.33 | 1714 |
|  | अण्‍डमान व निकोबार  | 4.35 | - | - | - | - | - |
|  | बिहार | 84.77 | 1036 | 86.79 | 916 | 57.50 | 560 |
|  | चंडीगढ़  | 3.72 | 72 | 5.35 | 40 | 4.29 | 72 |
|  | छात्तीसगढ | 7.81 | 388 | 54.31 | 380 | 30.40 | 416 |
|  | दादर व नगर हवेली  | - | - | - | - | 7.21 | - |
|  | दमन व दीव  | - | - |  | - | - | - |
|  | दिल्ली | 2.75 | 144 | 15.59 | 120 | 15.44 | 144 |
|  | गुजरात | 15.08 | 304 | 63.57 | 360 | 40.95 | 426 |
|  | गोवा | - | - | - | 44 | 0.45 | 72 |
|  | हरियाणा | 21.91 | 710 | 103.18 | 661 | 108.74 | 710 |
|  | हिमाचल प्रदेश | - | - | - | - | - | - |
|  | झारखण्ड | 16.57 | 244 | 36.87 | 220 | 31.62 | 244 |
|  | जम्मू कश्मीर | 22.59 | 294 | 34.67 | 230 | 26.14 | 294 |
|  | कर्नाटक | 420.86 | 3462 | 531.80 | 2970 | 562.23 | 3766 |
|  | केरल | 41.51 | 482 | 62.75 | 525 | 64.85 | 438 |
|  | लक्षद्वीप  | - | - | - | - | - | - |
|  | मध्य प्रदेश | 162.55 | 1602 | 283.24 | 1596 | 211.86 | 1880 |
|  | महाराष्ट् | 301.30 | 4973 | 719.80 | 4681 | 643.90 | 4801 |
|  | मणिपुर | 105.55 | 1232 | 252.94 | 1203 | 246.59 | 1332 |
|  | मिज़ोरम | 6.07 | - | 4.34 | 90 | 13.35 | 122 |
|  | मेघालय | - | - | - | - | - | - |
|  | नागालैंड | 11.86 | 422 | 41.10 | 412 | 3141 | 322 |
|  | ओडिसा | 388.65 | 4801 | 775.73 | 4149 | 739.04 | 4751 |
|  | पंजाब | 10.90 | 288 | 23.07 | 200 | 41.59 | 216 |
|  | पुद्दुचेरी  | 4.26 | 144 | - | - | 24.27 | 144 |
|  | राजस्थान | 4.20 | 682 | 78.26 | 750 | 132.23 | 694 |
|  | सिक्किम  | 3.55 | 72 | 5.16 | 45 | 5.26 | 72 |
|  | तमिलनाडू | 348.72 | 3398 | 513.38 | 3024 | 509.92 | 3226 |
|  | त्रिपुरा | 17.12 | 360 | 27.97 | 253 | 39.79 | 360 |
|  | उत्तर प्रदेश | 398.43 | 5111 | 826.84 | 5306 | 833.96 | 5009 |
|  | उत्तराखण्ड | 47.44 | 632 | 102.70 | 646 | 93.94 | 682 |
|  | पश्चिम बंगाल | 253.91 | 3492 | 343.91 | 3186 | 464.91 | 3517 |
|  | कुल  | **3231.73** | **35959.00** | **5864.83** | **38241.00** | **5785.52** | **40270.00** |